उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

(K.K. [illegible])
20/4/24

22/4/24 पत्रावली पेश हुई। बोलना उभय पक्ष

रामनारायण
लल्लू प्रसाद सैनी
भगवान सहाय को

Id
[signature]
(राजेश कुमार [illegible])
[illegible]

उप। प्रकरण में [illegible] पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा समझौता पारिवारिक स्टाम्प तादादी 500 रुपये व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पेश किया गया है। निर्णय [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली बाद [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0टी0एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 22/2/24

स्थित :– वादीगण की ओर से श्री राजेश शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से कमलेश सैनी प्रथम एवं वैभव गुरावा एडवोकेट

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2672 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 2674 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2675 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 2677 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2679 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में अंकित व स्थित है। जिसे वाद पत्र में आगे आराजी वादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है। आराजी वादग्रस्त मे वादीगण का हिस्सा 1/3, सुवालाल पुत्र घासीलाल हिस्सा 1/3 जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है। आराजी वादग्रस्त का कानूनी रूप से तकास्मा नही हो रहा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हिस्से मे आयी आराजी पहले काफी उबड खाबड़ एवं गैर उपजाउ भूमि थी जिसे वादीगण ने काफी मेहनत रूपया खर्च कर काबिल काश्त बनाया है जिस पर वादीगण अपने परिवारजन सहित काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण ने अपने हिस्से पर पाटोल पोश भी चढा रखी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के हिस्से की आराजी का अपना बताकर वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण की खटवा रोड़ से लगी हुई भूमि को देखकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मन में फितुर आ गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के हिस्से की आराजी को हड़पना चाहते है तथा वादीगण की भूमि मे जबरन निर्माण कार्य करवा कर वादीगण को जबरन बेदखल करना

उप खण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

चाहते है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कोई हक अधिकार हांसिल नही है। दिनांक 08–05–13 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हाथे मे गैंती फावडी लेकर आराजी वादग्रस्त मे वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से वाली आराजी मे बनी पाटोल पोश मे आ गये तथा वादीगण की भूमि मे जबरन नींव खोदने लग गयें तथा वादीगणको ऐलानिंया धमकी दी कि वे वादीगण को उसके कब्जे शुदा आराजी से जबरन बेदखल कर कर उसे अपनी आराजी बताकर जबरन नींव खोदकर निर्माण कार्य करेगें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की इसी बेजा हरकत से वाद हैतुक पैदा होकर वादीगण को यह वाद पत्र का पेश करना लाजिम आया है। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह आराजी वादग्रस्त का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए कि प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त का विभाजन नही होने तक आराजी वादग्रस्त मे वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई दखलन्दाजी पैदा न करे न करावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री कमलेश सैनी एडवोकेट ने जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया। बाद सुनवाई पत्रावली पर वकील प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र को मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमति प्रदान की तथा पत्रावली वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण पत्रावली वास्ते अंतिम बहस पर नियत की गई।

वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 नियत होने के कारण विभाजन किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 24–06–2013 को राजीनामे के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कुर्रेजात 2–2 प्रतियो मे न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण मे वकील अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान मय प्रार्थना पत्र दफा 5 पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने नो आब्जेक्शन पेश किया जिसे स्वीकार कर वाद पत्र मे संशोधित उनवान प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर पर भी वकील

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा) (राज.)

ाण एवं वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहित अनापत्ति जाहिर

।

हमने प्रकरण में बहस अंतिम वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात एवं परिवारिक समझौता पत्र का अवलोकन ा गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन ा जिससे वादीगण का वाद व राजीनामे के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है ो का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से नियमानुसार क्री किया जाता है :–

्या	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	ओमप्रकाश, गिर्राज, शंकर, कमलेश, दीपक पि0 मंगलराम हि.ब.हि. 79/540, संतरा, अनिता, सरीता पुत्रीया मंगलराम, बच्ची देवी पत्नी स्व0 मंगलराम हि.ब.हि. 28/270 रामजीलाल, राजेन्द्र, भगवान सहाय पि0 मूलचन्द हि.ब.हि. 3/4 कौम माली सा. दहे खातेदार	2675/2 2675/5 2677/1 2679/1	0.10 1.02 0.10 0.10	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	0.67 1.38 0.72 0.58
	योग किता	4	2.12		3.35
2.	चौथमल, लल्लूप्रसाद, लक्ष्मण पि0 सुवालाल हि.ब.हि. कौम माली सा. दहे खातेदार	2672/1 2675/1 2675/6 2677/2 2679/2 2679/4	0.11 0.03 1.00 0.07 0.04 0.07	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	0.67 0.19 1.38 0.39 0.33 0.45
	योग	6	2.12		3.41
3	प्रभूलाल, लक्ष्मीनारयण पि0 कजोडमल हि.ब.हि. कौम माली सा. देह खातेदार	2672/2 2674 2675/3 2675/7	0.04 0.17 0.07 1.03	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	0.25 1.11 0.45 1.52

अधिकारी

	योग	4	2.11		3.33
4	शामलाती	2675 / 4 2679 / 3	0.09 0.03	बारानी 2 बारानी 2	0.57 0.21
	योग	2	0.12		0.78

उक्तानुसार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक न्तिम डिकी राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये ाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक– पृथक लगान का निर्धारण करें। तहसीलदार लालसोट ो कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण डिकी पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय ुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट